मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः01.12.2025

थाना जमालपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेट्फार्म एक्स पर प्रसारित अवैध गांजा बिक्री वीडियो से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 510 ग्राम अवैध गांजा व गाजा बिक्री की धनराशि बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

दिनांकः30.11.2025 को सोशल मीडिया प्लेट्फार्म एक्ट के माध्यम से थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत देवरिया गोरखपुर में गांजा बेचे जाने का एक वीडियो संज्ञान में आया। उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव मय पुलिस टीम द्वारा उक्त वीडियो की जाँच कर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित अभियुक्त मदन जायसवाल पुत्र स्व0जमुना जायसवाल निवासी रमना थाना लंका जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर उसके पास से 510 ग्राम अवैध गांजा तथा गांजा बिक्री की धनराशि ₹ 450/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचने का काम करता है जिससे बढ़िया पैसा कमा लेता है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-206/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

मदन जायसवाल पुत्र स्व0जमुना जायसवाल निवासी रमना थाना लंका जनपद वाराणसी, उम्र करीब-55 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

510 ग्राम अवैध गांजा।

गांजा बिक्री की धनराशि ₹ 450/- नगद।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-206/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक जयप्रकाश यादव व आशीष सिंह थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी रण

महान मस्तिष्क की

****